न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

उपस्थित–सुशील कुमार शशि (एच0जे0एस0)
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0: 377/2026
सी0एन0आर0नं0– यू0पी0जे0पी0 010042672026

सुधांशु पुत्र बृजेश कुमार
निवासी–विझवट, थाना महराजगंज, जिला जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–107/2026
धारा–109 बी0एन0एस0।
थाना–महराजगंज, जिला जौनपुर।

17.06.2026

आवेदक/अभियुक्त सुधांशु द्वारा मु0अ0सं0–107/2026, धारा–109 बी0एन0एस0, थाना महराजगंज, जिला जौनपुर के मुकदमे में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मेवालाल का भतीजा राहुल घर के बगल में बातचीत कर रहा था। इतने में शुभांशु व दुर्लभ जान से मारने की नियत से सिर के उपर प्रहार किया तथा सिर फट गया तथा मौके पर राड बरामद हुयी। बेहोशी हाल में उसको अलग–बगल वालों ने उठाया तथा संवशा हास्पिटल में ले गये तथा वहां से रेफर कर दिये सदर हास्पिटल। वहां पर इलाज चल रहा है। सिर फटने की वजह से उसकी स्थिति नाजुक नहीं हुयी है। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे गलत ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का समय व दिनांक एक ही है जिससे पुरी घटना संदिग्ध हो जाती है। आवेदक घटना में शामिल नहीं रहा है। चोटहिल के शरीर के किसी भी मर्मस्थल अंग पर कोई भी ऐसी चोट हीं है जो प्राणघ ातक या गंभीर प्रकृति की हो। चोटहिल को मामली चोट आयी है। किसी अभियुक्त के हाथ में कौन सा हथियार था इसका कोई भी जिक्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। समस्त अभियोजन कथानक असत्य, भ्रामक व सत्यता से परे है, मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भतीजे राहुल के सिर पर राड से प्रहार करने का आरोप है, जिसकी पुष्टि वादी मुकदमा व चोटहिल के द्वारा अपने बयान में की गयी है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटनाक्रम में चोटहिल को 2 चोटे आना अंकित है जो सामान्य प्रकृति व आलाकुंद से आना अंकित है तथा चोटहिल की एक्सरे रिपोर्ट में एक्सरे स्कल–एन0ए0डी0 अंकित है। प्रथम

Digitally signed by SUSHIL KUMAR SHASHI
Date: 2026.06.17 16:26:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सूचना रिपोर्ट में 2 व्यक्ति नामित है, परन्तु किसी भी अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका दर्शिन नहीं की गयी है। थाने की प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकदमे के अलावा अन्य कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कुछ शर्तों के साथ अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दौरान विवेचना गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में, आवेदक/अभियुक्त सुधांशु द्वारा मु0अ0सं0–107/2026, धारा–109 बी0एन0एस0, थाना महराजगंज, जिला जौनपुर के प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा मु0–50,000/–का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित थानाध्यक्ष की सन्तुष्टि पर प्रस्तुत करने पर तथा निम्नलिखित शर्तो के साथ उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निर्देश दिया जाता है कि–

1. अभियुक्त दौरान विवेचना विवेचक के द्वारा तलब करने पर उसके समक्ष उपस्थित होकर विवेचना की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
2. अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साक्षीगण को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।
3. जमानत के दौरान किसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होगा।

अधिरोपित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में अग्रिम जमानत स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

<u>दिनांक 17.06.2026</u>
लोकेश कुमार/–

(सुशील कुमार शशि)
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2001
सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।